2022/66

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अवुला सांई कृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2022 प्रार्थना पत्र GCMS No. 2022/66

1. श्री उंकार पिता नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
2. श्री नारायण पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
3. श्री भुरा पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
4. श्री मोहन पुत्र नवला वागरिया, उम्र वयस्क,
5. श्री लालिया पुत्र मानिया वागरिया, उम्र वयस्क

सर्वनिवासीयान खोखराफला, देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विक्रम सिंह पिता नाहर सिंह, उम्र वयस्क, निवासी नोहरा, देबारी, उदयपुर (राज.)
2. श्री कमलेन्द्र सिंह पिता नाहर सिंह, उम्र वयस्क, निवासी नोहरा, देबारी उदयपुर (राज.)
3. श्री दुदु सिंह पिता उम्मेद सिंह, उम्र वयस्क, निवासी मटून, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री केसु उर्फ खुमा पिता अमरा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री करण पिता केसु उर्फ खुमा उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री दुदा पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री अर्जुन पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री गेरू पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री लिलिया पिता खुमा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री धन्ना पिता पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती प्रतापी पत्नी श्री पन्ना भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री सुरेश पिता लखा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती हसंली पत्नी लखा भील, उम्र वयस्क, निवासी झरनों की सराय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
प्रकरण संख्या 14/2022 प्रार्थना पत्र
अनवान उंकार बनाम विक्रम
निर्णय प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का.अधि.

22/66 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-
1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री संजय सैन

निर्णय

दिनांक : 19.01.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्त0 अधि0 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का राजस्व ग्राम देबारी पटवार मण्डल देबारी की आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 कुल किता 3 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। जिससे विपक्षीगण का कोई संबध सरोकार नहीं हैं, उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के तन्हा खातेदारी में दर्ज है, विपक्षीगण अनावश्यक रूप से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की स्वामित्व की कृषि भूमि जबरन हड़प कर लेना चाहते है जिसके चलते विपक्षीगण द्वारा दिनांक 28.02.2022 को प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश कर बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कर दी एवं मौके पर जे.सी.बी. से नीवें खोद दी व वादग्रस्त आराजीयात पर पत्थर, रेती इत्यादि डाल जबरन निर्माण कर प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व की भूमि को हड़प कर लेना चाहते है, जिसका विपक्षीगण को कोई कानूनन अधिकार नहीं है। विपक्षीगण झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है जिनके विरूद्ध रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर के समक्ष दिनांक 31.01.2022 को प्रस्तुत की गई, फिर भी विपक्षीगण द्वारा बाधा, व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेद्याज्ञा का आदेश फरमावें कि विपक्षीगण वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करें, प्रवेश न करें, निर्माण कार्य नहीं करें उक्त कार्य विपक्षीगण स्वयं नहीं करें, ना ही अपने नौकर, रिश्तेदारों इत्यादि से ही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी जो जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने से उनके जवाब अवसर बंद किए गए। प्रकरण में दिनांक 09.02.2022 को विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा भी पारित की गई।

प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है तथा विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

का उससे कोई लेना देना नहीं है फिर भी जबरन निर्माण कराने पर आमादा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को पाबन्द फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया एवं अंकित किया गया कि आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 में प्रार्थीगण के नाम सम्पूर्ण हिस्सा निहित है। जबकि विपक्षीगण का उक्त आराजीयात से कोई सम्बध नहीं है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय बिन्दु है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

<u>प्रथम दृष्टया मामला :</u>

जहां तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है। प्रथम दृष्टया मामले से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला तब माना जा सकता हैं, जब उस व्यक्ति के हक में कोई विधिक अधिकार का अस्तित्व हो एवं उस अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेहक उल्लंघन किया जा रहा हो या उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा हो। प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में मूल वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा बताया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 में आराजी संख्या 2880 से 2882 सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्शाया गया है जिससे यह तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है। प्रस्तुत जमाबंदी मे विपक्षीगण का नाम वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज रिकार्ड नहीं है। जब किसी आराजीयात में कोई व्यक्ति खातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज रिकार्ड नहीं है अथवा कोई हक व अधिकार होने के सम्बध में दस्तावेज नहीं होने से उक्त आराजीयात के खातेदारों के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का संबध नहीं है। प्रकरण में दिनांक 09.02.2022 को विपक्षीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए है तथा पत्रावली की आदेशिका से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा बार बार प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन आदेश की पालना कराये जाने के प्रस्तुत किए जाने पर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर को भी लिखा गया है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :

जहॉ तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात उनके खातेदारी में होकर अपने कब्जे में होने का कथन किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत वादग्रस्त आराजीयात की यथास्थिति रखने का आदेश पारित करने से विपक्षी पक्षकार को किसी प्रकार की असुविधा या अपूर्णनीय क्षति होने का प्रश्न नहीं है। इसके विपरीत अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जाती है तथा वादग्रस्त आराजीयात के स्थिति एवं कब्जे में परिवर्तन कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण का मकसद समाप्त हो जावेगा, वाद बाहुल्यता एवं कानुनी पेचिदगियां बढेगी एवं उससे होने वाली क्षति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा एवं संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रस्तुत अस्थाई निषेद्याज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 13 को इस आशय की अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह मूल वाद प्रकरण संख्या 22/2022 बउनवान उंकार बनाम विक्रम के निस्तारण तक राजस्व ग्राम देबारी पटवार मण्डल देबारी की आराजी संख्या 2880, 2881, 2882 कुल किता 3 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, हस्तक्षेप नहीं करें, प्रवेश न करें, निर्माण कार्य नहीं करें उक्त कार्य विपक्षीगण स्वयं नहीं करें, ना ही अपने नौकर, रिश्तेदारों इत्यादि से ही करावें।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(ए. सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर